52

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 9–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–11–2014 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील बदनावर जिला धार, प्रकरण कमांक 4/अ–13/2013–14.

.....

1–गोपालसिंह पिता गुलाबसिंह
2–समन्दरसिंह पिता गुलाबसिंह
3–मदनसिंह पिता गुलाबसिंह
निवासीयान ग्राम खण्डीगारा
तहसील बदनावर जिला धार

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–इन्दरसिंह पिता प्रहलादसिंह
2–गोविन्दसिंह पिता प्रहलादसिंह
3–जमनाबाई बेवा प्रहलादसिंह
निवासीयान ग्राम खण्डीगारा
तहसील बदनावर जिला धार

..... अनावेदकगण

.....

श्री गौरव सक्सैना, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 8/6/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–11–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार बदनावर जिला धार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खण्डीगारा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 34/2/1 रकबा 1.809 हेक्टेयर उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिस पर आने जाने एवं कृषि उपकरण ले जाने हेतु

परम्परागत रास्ता था, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 5–11–2014 को आदेश पारित किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश देते हुये प्रकरण मूल आवेदन पत्र के जबाव हेतु नियुक्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ता अनावेदकगण के लिये कभी भी नहीं रहा है, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की भूमि में से रास्ता देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण में केवल पगडंडी के रास्ते के निशान पाये गये हैं, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदकगण द्वारा रास्ते को अवरूद्ध किया गया है, रास्ता खोले जाने का आदेश देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्थल निरीक्षण में किसी के भी द्वारा यह नहीं बतलाया गया है कि प्रश्नाधीन रास्ते से बैलगाड़ी एवं कृषि उपकरण लाये जाते थे । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा साक्ष्य के विपरीत आवेदकगण की भूमि में से रास्ता देने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर पाया गया है जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है, प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण होना है, जहॉ आवेदकगण को पूर्ण अवसर उपलब्ध है कि वे साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता परम्परागत रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकते है। उनके द्वारा

तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर रास्ता होना और आवेदक द्वारा उसे अवरूद्ध किया जाना पाते हुये अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर नहीं होना प्रमाणित कर सकता है । दर्शित परिस्थितियों में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–11–2014 स्थिर रखा जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर